

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल 2016—चैत्र 16, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. 53-111-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 अप्रैल 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१६

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ९ का संशोधन.
३. धारा १४ का संशोधन.
४. धारा १८ का संशोधन.
५. धारा २६ का संशोधन.
६. धारा २८-क का अन्तःस्थापन.
७. धारा ३४ का संशोधन.
८. अनुसूची-१ का संशोधन.
९. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक ५ अप्रैल, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ अप्रैल, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ९ में, उपधारा (१) में पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-२ के भाग तीन-क में विनिर्दिष्ट मालों के संबंध में, वजन, मात्रा, माप या इकाई के आधार पर न्यूनतम कर की राशि नियत कर सकेगी।”

धारा १४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में,—

(एक) उपखण्ड (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(१) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय; या

(१क) अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय, या”;

(दो) उपखण्ड (६) में, मद (दो) को मद (तीन) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित मद (तीन) के पहले निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(दो) उपखण्ड (१क) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जो कि ऐसे आगत कर की रकम या ऐसे विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन देय केन्द्रीय विक्रय कर की रकम, जो भी कम हो, के बराबर हो;”

धारा १८ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (४) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (चार) में, उप भाग (४) में, अंक तथा शब्द “१.५ प्रतिशत” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “२ प्रतिशत” स्थापित किए जाएं।

धारा २६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २६ में,—

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) शब्द “केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम” के स्थान पर, शब्द “व्यक्ति” स्थापित किया जाए;

(ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए, और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी.”;

(दो) उपधारा (२) में,—

- (क) शब्द “दो प्रतिशत” के स्थान पर, शब्द “तीन प्रतिशत” स्थापित किए जाएं;
- (ख) तृतीय परन्तुक में, शब्द “भी” के स्थान पर शब्द “और” स्थापित किया जाए और पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह भी कि किसी ठेकेदार के रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होने की दशा में, कटौती दो प्रतिशत की दर से की जाएगी.”;

(तीन) उपधारा (८) के पश्चात्, स्पष्टीकरण में,—

- (क) प्रारंभिक पैरा में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक “उपधारा (२)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक “उपधारा (१) और (२)” स्थापित किए जाएं;

- (ख) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(तीन) स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित किसी विधि के अधीन गठित कोई प्राधिकरण जिसमें ग्राम पंचायत, कोई जनपद पंचायत या कोई जिला पंचायत सम्मिलित है,”;

- (ग) खण्ड (पांच) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात्:—

“(छह) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा ऐसे दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से सहबद्ध चिकित्सालय;

(सात) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त चिकित्सा महाविद्यालय तथा ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों से सहबद्ध चिकित्सालय;

(आठ) समस्त मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय”.

६. मूल अधिनियम की धारा २८ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

- (१) यदि किसी कार्यवाही में, किसी जांच के दौरान, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति या व्यापारी के कारबार से संबंधित कोई निरीक्षण या जांच भी सम्मिलित है और जहां कर की किसी राशि के अपवंचन का संदेह है और आयुक्त को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि राजस्व के हितों को सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति या व्यापारी से कोई धन, जो कि शोध्य हो या जो किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति या व्यापारी को शोध्य हो जाए या किसी ऐसे धन को, जो ऐसे व्यक्ति या व्यापारी की ओर से या उसके लिए, कोई अन्य व्यक्ति धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करे, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा:

धारा २८-क का अंतःस्थापन.

“२८-क. कतिपय मामलों में राजस्व सुरक्षित करने हेतु अनंतिम कुर्की.

परन्तु आयुक्त अपने आदेश में धन की वह रकम, जिसको कि आदेश लागू होता है, विनिर्दिष्ट करेगा:

परन्तु यह और कि आयुक्त, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश को प्रतिसंहत कर सकेगा, यदि व्यापारी आयुक्त को ऐसे समय में, ऐसी कालावधि के लिए, जो कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, कोई बैंक गारन्टी प्रस्तुत कर देता है।

(२) प्रत्येक ऐसी अनंतिम कुर्की, उपधारा (१) के अधीन जारी किए गए आदेश की तामील होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी:

परन्तु आयुक्त लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उपरोक्त कालावधि को ऐसी और कालावधि या कालावधियों तक, जैसा कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगा, तथापि, इस प्रकार विस्तारित कुल कालावधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(३) इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग स्वयं आयुक्त द्वारा या क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले अपर आयुक्त द्वारा या यथास्थिति, किसी ऐसे उपायुक्त द्वारा, जिसे कि आयुक्त ने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की हों, किया जाएगा।

(४) जहां अनंतिम रूप से किसी धन को कुर्क करते समय उपधारा (१) के अधीन ऐसा आदेश किसी व्यक्ति को तामील किया जाता है, तब ऐसा व्यक्ति इस प्रकार कुर्क की गई धनराशि आयुक्त को संदत्त करने का व्यक्तिगत रूप से दायी होगा जब तक की कुर्की का आदेश प्रतिसंहत नहीं कर दिया जाता या प्रभावहीन नहीं हो जाता।

(५) यदि उक्त व्यक्ति या व्यापारी, यथास्थिति, उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट आदेश या उपधारा (२) के अधीन कालावधि विस्तारित करने के आदेश की तामीली की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आयुक्त को विहित प्ररूप में कोई आवेदन करता है तो आयुक्त, ऐसे व्यक्ति या व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे प्रतिसंहत कर सकेगा।

(६) उपधारा (५) के अधीन पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील, अपील बोर्ड को की जाएगी तथा धारा ४६ के अन्य सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे."।

धारा ३४ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा २० की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट" का लोप किया जाए;

(दो) परन्तुक में, खण्ड (दो) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(तीन) किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने संबंधी विनिश्चय ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से ६० दिन के भीतर किया जाएगा."

अनुसूची-१ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

(एक) अनुक्रमांक ४क के सामने, कालम (२) में, शब्द "बाईसिकल्स" के स्थान पर, शब्द "बाईसिकल्स जिनका विक्रय मूल्य (अधिकतम खुदरा मूल्य) दस हजार रुपए से अधिक नहीं है" स्थापित किए जाएं;

(दो) अनुक्रमांक ५४ के सामने, कालम (३) में विद्यमान शर्त को “(एक)” के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित शर्त (एक) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(दो) जब केन्द्रीय पुलिस केंटीन द्वारा सीधे अथवा सब्सिडियरी केन्टीन के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल को, सीमा सुरक्षा बल के सेवारत कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये विक्रय किया जाए और उनका विक्रय मूल्य केन्द्रीय प्रशासनिक समिति (सीएसी) द्वारा नियत मूल्य से अधिक न हो.”;

(तीन) अनुक्रमांक ८९ के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां, अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“९०. बायो इनसेक्टिसाइड्स और बायो पेस्टिसाइड्स

९१. सूखे बेर तथा बेर पाउडर

९२. समस्त प्रकार के इलेक्ट्रिक/बैटरी चलित दुपहिया, कार तथा रिकशा

९३. मिलकिंग मशीन

९४. जैव अनाश्य सामग्री से बने बैग तथा लिफाफे”.

९. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में,—

अनुसूची-२ का संशोधन.

(एक) भाग-दो में,—

(क) अनुक्रमांक ५ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(ख) अनुक्रमांक ११-ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(ग) अनुक्रमांक १४ के सामने, कालम (२) में, शब्द “गैस स्टोव, गैस गीजर” के स्थान पर शब्द “गैस स्टोव” स्थापित किए जाएं;

(घ) अनुक्रमांक २० क के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“२० ख. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिये केन्द्रीय पुलिस केन्टीन को, केन्द्रीय पुलिस केन्टीन द्वारा जारी इस प्रमाण-पत्र के विरुद्ध विक्रय किया गया कि क्रय किया जा रहा माल सीमा सुरक्षा बल के सेवारत कार्मिकों तथा सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व सैनिकों को विक्रय के लिये है.

(ङ) अनुक्रमांक २९ के सामने, कालम (२) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“कागज से बने कप, गिलास, प्लेटें, बाउल, थाली, कटोरी और दोना पत्तल”;

(च) अनुक्रमांक ३९क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(छ) अनुक्रमांक ५५ के सामने, कालम (२) में मद २०५ तथा २०६ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“२०५. माल की पैकिंग के लिये सभी प्रकार के बैग तथा थैले (एच डी पी ई / एल डी पी ई / पी पी से बुने हुए थैले व बैग, पोलिथिन बैग, प्लास्टिक बैग और थैलों को छोड़कर) तथा माल की पैकिंग के लिये प्लास्टिक से बनी वस्तुएं”;

(ज) अनुक्रमांक ५६क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(झ) अनुक्रमांक ११० के पश्चात् सम्बन्धित कालमों में निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“१११. सोया मिल्क,	५
११२. बायोफ्यूल आधारित धुंआरहित स्टोव, गैस स्टोव तथा इन्डक्शन कुक टाप के पुर्जे तथा उपस्कर.	५
११३. बाइसिकल जिनका विक्रय मूल्य (अधिकतम खुदरा मूल्य) दस हजार रुपए से अधिक हो और उसके पुर्जे (जिसमें टायर तथा ट्यूब तथा उपस्कर सम्मिलित हैं).	५
११४. डायलिसिस मशीन तथा डायलिसिस कन्ज्यूमेबल्स	५”;

(दो) भाग-चार में, अनुक्रमांक ४ के पश्चात्, सम्बन्धित कालमों में निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“४-क “भारी माल वाहक यान जिनका कुल वजन १२००० किलोग्राम से अधिक हो	१४”.
--	------

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. 53-111-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 OF 2016

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2016

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 9.
3. Amendment of Section 14.
4. Amendment of Section 18.
5. Amendment of Section 26.
6. Insertion of Section 28-A.
7. Amendment of Section 34.
8. Amendment of Schedule-I.
9. Amendment of Schedule-II.

MADHYA PRADESH ACT
No. 14 OF 2016

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2016

[Received the assent of the Governor on the 5th April, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th April, 2016].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2016. **Short title, and commencement.**
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. In Section 9 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :— **Amendment of Section 9.**

"Provided that the State Government may, by notification, fix minimum amount of tax on the basis of weight, volume measurement or unit, in respect of goods specified in Part III A of Schedule II."
3. In Section 14 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a),— **Amendment of Section 14.**
 - (i) for sub-clause (1), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

" (1) sale within the State of Madhya Pradesh or in the course of export out of the territory of India; or

(1a) sale in the course of inter-State trade or commerce; or";
 - (ii) in sub-clause (6), item (ii) shall be renumbered as item (iii) and before item (iii) as so renumbered, the following item shall be inserted, namely :—

" (ii) in case of goods referred to in sub-clause (1a), which is equal to the amount of input tax or the amount of Central Sales Tax payable under the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) on such sale, whichever is less;".
4. In Section 18 of the principal Act, in sub-section (4), in clause (a) in sub-clause (iv), in sub-division (4), for the figures and word "1.5 percent". the figure and word "2 percent" shall be substituted. **Amendment of Section 18.**
5. In Section 26 of the principal Act,— **Amendment of Section 26.**
 - (i) in sub-section (1),—
 - (a) for the words "the Central Government or a State Government or a notified public sector undertaking", the words "the person" shall be substituted;
 - (b) for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the State Government may, by notification, exempt any person or clause of persons from the operation of this sub-section.";

(ii) in sub-section (2),—

(a) for the words "two percent", the words "three percent" shall be substituted;

(b) in third proviso, for the word "also", the word 'further' shall be substituted and for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :

"Provided also that in case of a contractor being a registered dealer, the deduction shall be made at the rate of two percent.";

(iii) after sub-section (8), in the Explanation,—

(a) in the opening paragraph for the words, bracket and figure "sub-section (2)", the words, brackets and figures "sub-section (1) and (2)" shall be substituted;

(b) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(iii) Authority constituted under a law relating to local authority including a Gram Panchayat, a Janapad Panchayat and a Zila Panchayat.";

(c) in clause (v), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following clauses shall be added, namely :—

"(vi) All Dental colleges recognized by Dental Council of India and hospitals associated to such dental colleges,

(vii) All Medical colleges recognized by Medical Council of India and hospitals associated to such Medical colleges,

(viii) All recognized universities.".

**Insertion of
Section 28-A.**

6. After Section 28 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"28-A Provisional attachment to protect revenue in certain cases,—

(1) If during the course of an inquiry in any proceedings including any inspection or search in relation to the business of any person or dealer under this Act, where some amount of tax evasion is suspected, and the Commissioner has reason to believe on the basis of material on record that for the purpose of protecting the interest of the revenue it is necessary so to do, then he may, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any contract to the contrary, attach provisionally, by order in writing, any money due or which may become due to such person or dealer from any other person or any money which any other person holds or may subsequently hold for or on account of such person or dealer:

Provided that the Commissioner shall specify in his order the amount of money to which the order applies:

Provided further that the Commissioner may, by an order, revoke such order, if the dealer furnishes to the Commissioner, a bank guarantee, in such time, for such period as may be specified, in the said order.

- (2) Every such provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of service of the order issued under sub-section (1):

Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, extend the aforesaid period by such further period or periods as he may think fit. However that the total period of extension shall not in any case exceed two years.

- (3) The powers under this section shall be exercised by the Commissioner himself or the Additional Commissioner having jurisdiction over the zone or, as the case may be, by any Deputy Commissioner to whom the Commissioner has delegated such powers by a notification published in the official Gazette.
- (4) Where an order under sub section (1) is served upon any person, provisionally attaching any money, there such person shall be personally liable so long as the attachment order is not revoked or has not ceased to have effect, to pay to the Commissioner, the amount of money so attached.
- (5) If the said person or the dealer makes an application in the prescribed form to the Commissioner within fifteen days of the date of service of the order specified in sub-section (1) or the order extending the period under sub-section (2), as the case may be, then the Commissioner, after affording such person or dealer a reasonable opportunity of being heard, and having regard to the circumstances of the case, may confirm, modify or revoke the order.
- (6) An appeal against any order passed under sub-section (5) shall lie with the Appellate Board and all other provisions of section 46 shall apply accordingly."

7. In section 34 of the principal Act, in sub-section (1),—

Amendment of Section 34.

- (i) the words, brackets and figures "referred to in clause (a) of sub-section (4) of section 20" shall be omitted;
- (ii) in the proviso, in clause (ii), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be inserted, namely :—
- "(iii) the decision regarding setting aside an ex parte order shall be taken within 60 days from the date of filing of such application."

8. In Schedule-I to the principal Act,—

Amendment of Schedule-I.

- (i) against serial number 4A, in column (2), for the word "Bicycles", the words "Bicycles sale price (maximum retail price) of which does not exceed Rupees Ten Thousand" shall be substituted;
- (ii) against serial number 54, in column (3), the existing condition shall be numbered as "(i)" and after condition (i) as so numbered, the following condition shall be inserted, namely :—
- "(ii) When sold by Central Police Canteen for Border Security Force to serving Border Security Force personnel and ex-servicemen of Border Security Force directly or through subsidiary canteens and their sale price does not exceed the price fixed by the Central Administrative Committee (CAC).";

- (iii) after serial number 89, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

" 90. Bio-insecticides and bio-pesticides.

91. Dry ber and ber powder.

92. All kinds of electric/battery run two wheelers, car and rickshaw.

93. Milking machine.

94. Bags and envelopes made of biodegradable material".

**Amendment of
Schedule-II.**

9. In Schedule-II to the principal Act,—

- (i) in part-II,—

(a) serial number 5B and entries relating thereto shall be omitted;

(b) serial number 11-B and entries relating thereto shall be omitted;

(c) against serial number 14, in column (2), for the words "gas stove, gas geyser". the words "gas stove" shall be substituted;

(d) after serial number 20A, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"20-B. Canteen stores sold by a 4"; registered dealer to the Central Police Canteen for Border Security Force against a certificate issued by the Central Police Canteen that the goods being purchased are for sale to the serving Border Security Force personnel and ex-servicemen of Border Security Force.

(e) against serial number 29, in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Cups, glasses, plates, bowls, thali, katori, and dona-pattal which are made of paper";

(f) serial number 39A and entries relating thereto shall be omitted;

(g) against serial number 55, in column (2), for items 205 and 206 and entries relating thereto, the following item and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"205. All kinds of bags and sacks for packing of goods (excluding woven sacks and bags made of HDPE/LDPE/PP, polythene bags Plastic bags and sacks) and articles of plastics for packing of goods";

(h) serial number 56-A and entries relating thereto shall be omitted;

(i) after serial number 110, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted in the respective columns, namely :—

"111. Soya Milk, 5

112. Parts and accessories of bio fuel based smokeless stove, gas stove and induction cook-top. 5

- | | | |
|------|---|-----|
| 113. | Bicycle sale price
(maximum retail price) of
which exceeds Rupees Ten
Thousand and parts
(including tyres and tubes)
and accessories thereof | 5 |
| 114. | Dialysis machine and
dialysis consumables. | 5"; |

(ii) in part-IV, after serial number 4, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted in the respective columns namely :—

- | | | |
|-------|---|------|
| "4-A. | "Heavy goods carriage
vehicle, gross vehicle
weight of which is more
than 12000 kilograms. | 14". |
|-------|---|------|